

विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

मार्च-2012

शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(शिक्षा)50/2011	नियमित वेतन नहीं मिलने की प्रमोद सुमन टेटे, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सिमडेगा की शिकायत ।	23.03.2012	जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त असंतोषप्रद मंतव्य के आधार पर परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा) 35/2011	सेवानिवृत्त उपरान्त बकाया भुगतान नहीं होने के संबंध में श्री घनश्याम महतो की शिकायत ।	21.03.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य जिसमें लोकायुक्त कार्यालय द्वारा त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप सेवानिवृत्त लाभो का भुगतान अविलम्ब कराया गया का उल्लेख किया गया है के आलोक में परिवाद में अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(शिक्षा)03/2006	स्व० उर्मिला देवी सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका के देय पावनाओं के भुगतान के संबंध में ।	27.03.2012	उपायुक्त गिरीडीह तथा जिला शिक्षा अधीक्षक गिरीडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र समर्पित करने को कहा गया है साथ ही परिवादी को दोनों प्रतिवेदनों को भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जमा करने के बाद कार्यालय को भी सूचित करे ।
4.	02/लोक(शिक्षा)30/2011	स्व० दिलीप कुमार मिश्रा भूतपूर्व शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पटमा अंचल सारठ जिला देवघर के पुत्र को अनुकंपाके आधार पर नौकरी के संबंध में ।	01.03.2012	जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी का याचना विचारणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)08/2011	श्रीमती सरिता देवी पति श्री बुटेश राम ग्राम-बांसडीह थान- चैनपुर जिला पलामू द्वारा गैरमजरुआ जमीन पर इंदिरा आवास से संबंधित पर्ची निर्गत करने के संबंध में ।	16.03.2011	परिवादी द्वारा पूर्व में पुलिस में दर्ज करायी गई वाद सं. जी. आर. 1087/2009 की अद्यतन स्थिति की मांग की गई थी । पर्याप्त पत्राचार एवं स्मार पत्र के बाद भी परिवादी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

2.	02/लोक(राजस्व)18/2 009	श्री देवेन्द्र कुमार सेवा निवृत्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी दुमका के पेंशनादि भुगतान से संबंधित शिकायत ।	19.03.2012	सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के आलोक में (जिसमें परिवादी के सभी सेवानिवृत्त देय पावनाओं का भुगतान संबंधित विभाग से कर दिया गया) परिवाद को मानीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
----	---------------------------	--	------------	--

पुलिस विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(पुलिस)03/20 07	श्री संजय सिंह थाना प्रभारी इचाक लोक सेवक के विरुद्ध श्री किशोरी प्रसाद मेहता गाम मनई चौक थाना ईचाक जिला हजारीबाग का शिकायत पत्र ।	23.03.2012	पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद सक्षम न्यायालय में आरोपीयों के खिलाफ केचार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। अतः परिवाद पर कार्यालय द्वारा अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
2.	02/लोक(पुलिस) 15/2009	थाना प्रभारी सतगांवा जिला कोडरमा द्वारा सरकार के आदेश पर प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों की आबासन बिजली पानी मुहैया कराने के उपरान्त उस पर हुए खर्च की राशि पुलिस अधीक्षक कोडरमा द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	06.03.2012	पुलिस अधीक्षक कोडरमा के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)20/20 06	परसुडीह थाना प्रभारी (तत्कालीन) पर कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने कं संबंध में।	06.03.2012	परिवादी के विरुद्ध पुलिस द्वारा पुर्व में ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है अतः ऐसी दशा में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है।
4.	01/लोक(पुलिस)02/20 08	मो० जमालुद्दिन पिता० स्व० सरफुद्दिन साकीन मेन रोड सब्जी पट्टी झारीया थाना झारीया जिला धनबाद को धनबाद पुलिस से मुक्ति दिलाने के संबंध में शिकायत।	27.03.2012	पुलिस अधीक्षक धनबाद के जांच प्रतिवेदन के आधार पर तथा परिवादी द्वारा समय पर अपना पक्ष नहीं रखने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(ग्रा०वि०वि०)13/2 011	श्री वैधनाथ राम सेवानिवृत्त प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी कोलेबिरा का पेंशन निर्धारण के संबंध में ।	01.03.2012	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कोलेबिरा के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(ग्रा०वि०वि०)04/2 011	इंदिरा आवास के संघ में चतरा की डी० ओ० एवं किरानी मैडम द्वारा हम आवेदक से घुस के रूप में 10,000.00 रू० ले लेने के बावजूद भी टाल मटोल कर टलाने व परेशान करन के संबंध में श्री चमारी यादव का शिकायत ।	06.03.2012	परिवादी द्वारा झुठा परिवाद दाखिल करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)02/2006	स्व० मुरली प्रसाद शर्मा सेवा निवृत्त सहायक भूमीसंरक्षण पदाधिकारी चाकुलिया (घाटशीला)के 15.11.2000 के पूर्व का एवं बाद का बकाया वेतनादि की राशि के भुगतान के संबंध में ।	15.03.2012	परिवादी द्वारा परिवाद वापसी के लिए लिखित याचना के बाद परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कृषि)178/2005	श्री रामजी सिंह क्षेत्र पर्यवेक्षक सहायक निदेशक भूमि संरक्षण कार्यालय हजारीबाग का बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में ।	23.03.2012	परिवादी को पुनरीक्षित ग्रेच्युटि की राशि का भुगतान लोकायुक्त कार्यालय द्वारा त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप प्राप्त हो गया, जिसका उल्लेख परिवादी द्वारा अपने मंतव्य में किया गया है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(कृषि)23/2011	ए०सीपी० प्रोन्नती की सम्पुष्टि नहीं होने के कारण अंतिम पेशन निर्धारण नहीं होने के संबंध में सुधि रंजन प्रसाद को शिकायत ।	26.03.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार परिवादी को उनके सभी वैधानिक देय का भुगतान कर दिया गया । अतः परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(वन)01/2006	वन प्रमंडल के कर्मियों /पदाधिकारियों द्वारा अनियमितता के संबंध में ।	12.03.2012	पर्याप्त पत्राचार एवं स्मार पत्रों के बाद भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र एवं न्यायिक शुल्क कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

विद्युत विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विद्युत)04/11	अधिग्रहण की तिथि 17.07.75 से लेखा सहायक के पद पर पुनः पदस्थापित कर लेखापाल मं पदोन्नती देकर सेवोत्तर लाभ एवं देय बकाया मकान भाड़ा के संबंध में ।	23.03.2012	परिवाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण इस पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है ।

वित्त विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वित्त)06/2011	चन्द्रदीप यादव सेवानिवृत्त पत्राचार लिपिक, जल संसाधन विभाग के भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में ।	13.03.2012	परिवादी के भविष्य निधि की गणना की विसंगति को दूर करके विभाग द्वारा इसकी भुगतान सुनिश्चित कराया गया ।

खनन एवं भूतत्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(खनन)01/2011	जे० एन० बनर्जी एवं अन्य के पक्ष में पाईरोनेटाईट अयस्क के खनन पट्टे के स्वीकृति मिलने के बावजूद विगत 15 वर्षोंसे खनन क्षेत्र नहीं मिलने की शिकायत के संबंध में ।	14.03.2012	परिवाद अन्य कई न्यायालयों में विचारधीन है तथा कई में अंतरिम आदेश भी पारित हो चुका है अतः परिवाद पर अलग से किसी आदेश/कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अतः बंद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

कल्याण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कल्याण)05/2008	श्री लखन मुर्मू स्वतंत्रता सेनानी ग्राम— झापनी (लाडुवमान) पो० रघुनाथ पुर जिला गोडडा को पेंशन नहीं दिये जाने के संबंध में ।	19.03.2012	अंचलाधिकारी पोरैयाहाट के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

परिवहन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(परिवहन)02/11	श्री निर्मल किशोर शर्मा सेवा निवृत्त सेवाहक हजारीबाग प्रतिष्ठानको सेवानिवृति के लाभ का भुगतान नहीं करने के संबंध में ।	23.03.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमें परिवादी को सेवानिवृत्त के लाभों का भुगतान कर दिया गया है का उल्लेख है के आधार पर तथा परिवादी से कई पत्राचारों के बाद भी मंतव्य प्राप्त नहीं रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

जल संसाधन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(जल सं०)02/09	श्री रामलखन सिंह सेवा निवृत्त कनीय अभियंता जल संसाधन विभाग कोनार नहर प्रमंडल बगोदर गिरीडिह को सेवानिवृत्त लाभ की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	27.03.2012	कार्यपालक अभियंता कोनार नहर प्रमंडल के प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को महालेखकार राँची से पेंशन की स्वीकृति कर दिया गया । अतः कार्यलय के हस्तक्षेप के कारण को उनका बका पेंशन का निर्धारण कर दिया गया ।
2.	02/लोक(जल सं०)02/11	स्व० रामबहादुर सिंह भू पू० कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल साहेबगंज के नये वेतनमान के अनुसार पेंशन में संशोधन कर भुगतान करने के संबंध में शिकायत ।	12.03.2012	परिवाद लोकायुक्त कार्यालय पटना को हस्तान्तरित किया गया ।

सिंचाई विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(सिंचाई)254/2005	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बकाया वेतनादि/वेतन वृद्धि तथा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत वेतनमान का लाभ देने के संबंध में ।	06.03.2012	परिवादी के पत्र जिसमें सभी बकाया का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है, के अलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

1.	02/लोक(स्वा०)12/2009	श्री सुनील कुमार लिपकि सिविल सर्जन कार्यालय देवघर की जाली एवं फेक नियुक्ति तथा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।	05.03.2012	विभागीय कार्यवाही के बाद संबंधित लिपकि के विरुद्ध उचित कदम उठाते हुए उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया तथा उनका एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया । अतः संचिका पर अगली कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
----	----------------------	--	------------	--

सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(सहकारिता)07/11	कृषि खरीफ फसल का बीमा राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में मोहन साहु, सैनाथ साहु वगैरह ग्रामीण जनता ।	20-03-2012	परिवादी द्वारा कई स्मार पत्रों के बाद भी अपना मंतव्य नहीं दिया गया अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी चतरा के जांच प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(मत्स्य)02/2011	जिला मत्स्य पदाधिकारी पलामू द्वारा बीज वितरण में भ्रष्टाचार, अनियमितता, अभद्र व्यवहार, लूट आदि के संबंध में श्री जितेन्द्र कुमार का परिवाद ।	13.03.2012	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर परिवादी द्वारा लगाये आरोप निराधार तथा असत्य बताया गया है। जांच पर परिवादी से मंतब्य प्राप्त करने के लिए कई पत्र तथा स्मार पत्र दिया गया परन्तु परिवादी से मंतब्य प्राप्त नहीं हो सका । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(पशु)01/2009	श्री सुरेन्द्र यादव द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पशुपालन विभाग के विरुद्ध दर्ज परिवाद ।	15.03.2012	परिवादी को अनुकम्पा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति संबंधित विभाग द्वारा कर दिया गया है। इस आशय हेतु परिवादी से कई मंतब्य की मांग की जिसके लिए पर्याप्त पत्राचार तथा स्मार पत्र का सहारा लिया गया परन्तु परिवादी से मंतब्य अप्राप्त रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

विविध

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)03/2008	श्री ताराशंकर मिश्र मोकाम , पोस्ट डोरण्डा जिला-गिरीडिह को मूल पेंशन में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ कर तथा उस पर देय महंगाई भत्ता के साथ भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में ।	01.03.2012	परिवादी का परिवाद भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के दायरे में नहीं आता है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(विविध) 11/2011	श्री केदार नाथ कटारी, गोरेपाड़ा, चाकूलिया के पेंशन भुगतान नहीं करने से संबंधित शिकायत ।	20.03.2012	परिवादी का परिवाद भारतीय स्टेट बैंक के के विरुद्ध है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के दायरे में नहीं आता है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
3.	02/लोक(विविध)04/2011	श्री गोबिन्द मेहरा सेवा निवृत्त कार्यालय अधीक्षक समाहरणालय पाकुड़ द्वारा कार्यालय अधीक्षक के वेतनमान का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत ।	23.03.2012	परिवादी के द्वारा अपने मंतब्य में संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण तथा उपायुक्त पाकुड़ के जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

नगर विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(न०वि०वि०)02/06	हजारीबाग नगर पालिका द्वारा शहरी क्षेत्र के सभी 21 वार्डों में वर्ष 2005-06 में कराये गये सभी तररह के विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन के संबंध में।	22.03.2012	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शपथ पत्र तथा कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
2.	01/लोक(न०वि०वि०)01/07	बी० चौधरी MIG@ 6 धनबाद बनाम नगर निगम धनबाद	23.03.2012	र्याप्त पत्राचार के बाद भी परिवादी द्वारा शपथ पत्र तथा कोर्ट फी जमा नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(श्र०नि०प्र०)04/2011	श्री उपेन्द्र कुमार सिंहा सेवानिवृत्त कारखाना निरीक्षक बोकारो अंचल न०- 1 बोकारो के सेवनिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।	20.03.2012	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक बोकारो के प्रतिवेदन के आलोक में माननीय लोकायुक्त द्वारा प्रतिवेदन को उचित मानते हुए परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।

विधि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विधि)01/2012	परिवादी श्री नरेश प्रसाद सेवा निवृत्त, व्यवहार न्यायालय लोहरदगा, समप्रति डोरण्डा मनीटोला राँची का निलम्बन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ता देने के संबंध में।	20.03.2012	परिवाद व्यवहार न्यायालय से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।

शिकायत / परिवाद

मार्च, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं० 134 / 2012	सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।	01.03.2012	परिवादी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपचार प्राप्त है। अतः परिवाद पर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
2.	शिकायत सं० 134 / 2011	श्री अंकुश कुमार चौधरी हजारीबाग द्वारा श्री आर.एन. पंडा कमिशनर हजारीबाग के सचिव एवं अन्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायत।	06.03.2012	शिकायत पत्र में मौजूद त्रुटियों को कई स्मार पत्रों के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा सुधार नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
3.	शिकायत सं० 74 / 2012	गिरिडीह जिले के 5 दबंग व्यक्तियों द्वारा नाजायज कमाई कर राजस्व की चोरी करने के संबंध में हाजी मो० सलमान खान का शिकायत।	06.03.2012	शिकायत किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं रहने के कारण पोषणीय नहीं है।
4.	शिकायत सं० 498 / 2011	करोड़ों रुपये के बंदरबांट एवं पदाधिकारियों को अवांछित लाभ पहुँचाने के संबंध में श्री देवधारी मेहता का शिकायत।	01.03.2012	शिकायत पत्र में मौजूद त्रुटियों (यथा शपथ पत्र एवं न्यायिक शुल्क) को कई स्मार पत्रों के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा सुधार नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
5.	शिकायत सं० 150 / 2012	आपूर्ति बैट्री के भुगतान के संबंध में श्री प्रताप जैन से प्राप्त शिकायत।	13.03.2012	शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत कालबाधित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
6.	शिकायत सं० 159 / 12	विजय कुमार सिंहा लेखापाल भूमि संरक्षण कार्यालय डालटनगंज का प्रथम, द्वितीय ए.सी.पी. एवं तृतीय एम.ए.सी.पी. निदेशक भूमि संरक्षण झारखण्ड, राँची के द्वारा विगत पांच वर्षों से स्वीकृत नहीं करने के संबंध में।	22.03.2012	परिवादी स्वयं एक लोक सेवक है। सेवा में रहते इस प्रकार के शिकायत माननीय लोकायुक्त के समक्ष लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 8(1)(क) तृतीय अनुसूची कडिका (ड) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
7.	शिकायत सं० 128 / 12	भू-माफियाओं द्वारा रैयती जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में श्रीमती बिना देवी चास बोकारो का शिकायत।	19.03.2012	परिवाद दो लोगों के आपसी वाद से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
8.	शिकायत सं. 165 / 12	श्री कृष्णा कुमार अनुदेशक बी.आई.टी. सिन्दरी द्वारा कर्मप्रमुख के पद पर प्रन्नोती के संबंध में।	22.03.2012	परिवादी द्वारा परिवाद राज्य सरकार के सेवा काल में रहते किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
9.	शिकायत सं० 154 / 12	श्री शशिभूषण कुमार मैशिनिष्ट बी.आई.टी. सिन्दरी द्वारा वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने हेतु दर्ज परिवाद।	22.03.2012	परिवादी द्वारा परिवाद राज्य सरकार के सेवा काल में रहते किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है।
10.	शिकायत सं० 149 / 12	श्री मुंसी हेम्ब्रम सेवानिवृत्त आदेश पाल झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड हरमू राँची द्वारा चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में प्रन्नोती के संबंध में प्राप्त शिकायत।	19.03.2012	परिवादी को माननीय उच्च न्यायालय से उचित आदेश पारित हो चुका है। अतः परिवाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।
11.	शिकायत सं० 203 / 12	9 फरवरी 2012 के समाचार पत्र में सेल/बोकारो स्टील प्लान्ट में अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल से संबंधित	29.03.2012	स्टील ऑथरिटी ऑफ इन्डिया लि० केन्द्र सरकार के नियंत्राधीन लोक उपक्रम कम्पनी है जो झारखण्ड

		शिकायत ।		लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः परिवाद पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है।
12.	शिकायत सं0 194/12	वृद्ध माता पिता को भरण- पोषण का खर्च नहीं देने के संबंध में श्री देवकी राम रामगढ़ का शिकायत ।	27.03.2012	इस प्रकार के मामले झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं0 177/12	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 3(1) के अन्तर्गत सूचना नहीं उपलब्ध कराने के संबंध में शिकायत ।	27.03.2012	परिवादी को इस प्रकार के परिवाद का निराकरण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में उपलब्ध है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
14.	शिकायत सं0 142/12	विधवा पेंशन एव बी. पी.एल. कार्ड नहीं बनाये जाने संबंधी मंजू वर्मा को शिकायत ।	21.03.2012	परिवाद किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं रहने के कारण परिवाद को संचिकास्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु आवेदन को उपायुक्त राँची को भेजा गया
15.	शिकायत सं0 157/12	श्री सुनील कुमार चौधरी (संवेदक) ग्लेक्सी अपार्टमेन्ट गुजराती सनातन समाज के सामने विष्टुपुर जमशेदपुर द्वारा करोड़ों का नामी तथा बेनामी आय से अधिक सम्पति अर्जित करने संबंधी शिकायत ।	20.03.2012	परिवाद एक संवेदक के विरुद्ध किया गया है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत लोक सेवक के परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
16.	शिकायत सं0 156/12	केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखण्ड राँची के कुलपति एवं अधिकारियों के द्वारा श्री स्वराज पालित शतरंज खिलाड़ी को प्रज्ञातरित करने के संबंध में शिकायत ।	20.03.2012	केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा इसके पदाधिकारी झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते है अतः परिवाद पोषणीय नहीं है।
17.	शिकायत सं0 408/11	निबंधन कार्यालयधनबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के संबंध में श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव से प्राप्त शिकायत ।	15.03.2012	शिकायत पत्र में मौजूद त्रुटियों (यथा शपथ पत्र एवं न्यायिक शुल्क) को कई स्मार पत्रों के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा सुधार नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
18.	शिकायत सं0 243/11	श्री संजयकुमार प्रधान लिपिक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पूर्वी सिंहभूम द्वारा घूस मांगें जाने के संबंध में ।	15.03.2012	शिकायत पत्र में मौजूद त्रुटियों (यथा शपथ पत्र एवं न्यायिक शुल्क) को कई स्मार पत्रों के बाद भी शिकायतकर्ता द्वारा सुधार नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया।
19.	शिकायत सं0 139/12	मो0 मकसूद अंसारी को मदरसा द्वारा मकान किराया नहीं मिलने के संबंध में प्राप्त शिकायत ।	13.03.2012	परिवादी द्वारा अपने परिवाद के निराकरण हेतु कई अन्य विकल्पों तथा ऑथीरीटी के समक्ष परिवाद पहले ही दाखिल किया जा चुका है अतः परिवाद बंद कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं0 183/12	उच्चाधिकारियों के कुप्रशासन के कारण अनिल कुमार सिंह वन क्षेत्र पदाधिकारी का सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ नहीं प्राप्त होने के संबंध में ।	27.03.2012	शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के धारा 9(1)(ख) के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं0 412/2011	विद्यासागर बालिका विद्यामन्दिर स्कूल भवन पर अवैध कब्जा के संबंध में।	01.03.2012	शिकायत माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई संभव नहीं है।

22.	शिकायत सं० 565/11	प्रखण्ड सतबरवा योजना सं० 58/2003-04 में तलाब निर्माण में अनियमितता के संदर्भ में प्र० वि० पदा० एवं अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत ।	28.03.2012	शिकायत कालबाधित रहने के कारण झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं रहने के कारण परिवाद पर अगली कार्रवाई बन्द कर दिया गया।
-----	-------------------	--	------------	--